तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	तारीख अहकाम जो इरा हुक्म की तामील में जारी हुए
4.6.18	पत्रावली कैम्प नोरंगदेसर में पेश हुए वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थीयान सन्दीप कुमार,राजेन्द्र कुमार पुत्र गुरबचनसिंह व विकास, अमरदीप पुत्र रघुवीर जाति खाती साकिन चक 16 एम डी तहसील व जिला हनुमानगढ़ ने प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 व आदेश 1 नियम 10(2) एवं 151 सी0 पी0 सी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हिस्सा की भूमि हम प्रार्थीयान द्वारा दिनांक 26.04.2018 को खरीद की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 का वादग्रस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है।वकील वादीगण व प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 ने उक्त प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने में अपनी सहमति व्यक्त की व प्रार्थना–पत्र के साथ सलंग्न बैयनामो का अवलोकन किया वादी पक्ष द्वारा कोई भी आपत्ति न करने एवं बैयनामो के आधार पर व प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 के अभिभाषक की सहमति के आधार पर प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 व आदेश 1 नियम 10(2) सी पी सी को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 10ता 15 का नाम वादपत्र से हटाया जाता है व प्रार्थीयान को प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। वकील वादी द्वारा संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बलवीर पुत्र भादरराम व प्रतिवादी संख्या 5 मंजु पुत्री भादरराम सगे भाई–बहिन है प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हिस्से की .789 है0 भूमि अपने भाई बलवीर के पक्ष में तर्क कर दी है व वादग्रस्त जद्दी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती। प्रतिवादी	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

बलवीर व मंजू ने इस संबंध में राजीनामा प्रस्तुत किया व
हिस्सा अपने भाई प्रतिवादी बलवीर के पक्ष में तर्क करने का
किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश
दिनांक 06.06.2017 की पालना में वादग्रस्त भूमि के मौका पर
काश्त के अनुसार फर्द मौका रिपोर्ट मय जमाबन्दी व नक्शा प्रस्तु
उक्त फर्द मौका पर सभी पक्षकारो की सहमति के हस्ताक्षर है
पक्ष के अभिभाषक द्वारा भी फर्द मौका में वर्णित कब्जा काश
अनुसार खाता विभाजन करने में अपनी सहमति व्यक्त की वादप
कोई भी विरोध नहीं होने व मुताबिक कब्जा फर्द मौका दिनांक 0
2018 के अनुसार विभाजन में पक्षकारो व अभिभाषको की सहमति
के कारण वाद डिक्री किया जाना उचित है। वादपत्र में व
वादग्रस्त भूमि चक 16 एम डी की 4.058 है0 व चक 20 एन डी
की 9.032 है0 कुल 13.090 है0 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ह
मुताबिक रिकार्ड खातेदार है व वादपत्र में वर्णित चक 19 एन डी
की .657 है0 व चक 18 एन डी आर की 4.757 है0 कुल 5.414
वादी व प्रतिवादीगण की चारो चको में कुल 18.504 है0 भूमि है जि
वादी व प्रतिवादीगण अलग–अलग हिस्सा अनुसार हकदार है व इ
अनुसार काबिज है। इसलिये पक्षकारो की सहमति व फर्द मौका
अनुसार खाता विभाजन किया जाता है।

(1) हिस्सा वादीगण केशर देवी पत्नी बनवारी लाल, कविता, स
पुत्रियां बनवारी लाल चक 16 एम डी के प0 न0 148/336 मु0
55 के किला न0 1/.139,6/.215,7 ता 13/1.771, 14/.138, 15
013, 18/.37,19/215, 20/.253, 21/.138, 22/.013––2.932 है

(2) हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 सुन्दर देवी पत्नी भादरराम चक 20
डी के प0 न0 132/344 मु0 न0 12 के किला न0 18– /19
19/.192, 22/.202, 23/.202––––0.788 है0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(3) हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 बलवीर पुत्र भादरराम चक 20 एन डी आर के प0 न0 132/344 मु0 न0 12 के किला न0 14/.253, 15/.253, 18/.061, 19/.061, 12/.253, 13/.253,14/.253–1.256 है0

(4) हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 पार्वती पुत्र पार्वती पुत्री भादरराम चक 20 एन डी आर के प0 न0 132/344 मु0न0 12 के किला न0 16–17/.384, 24/.202, 25/.202 है0 ———.788है0

(6) हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 महेन्द्र कुमार पि0 मु0 भगवानाराम व प्रतिवादी संख्या 6/1 से 6/3 भूरी देवी पत्नी रामकुमार, राजेन्द्र पुत्र रामकुमार, विनोद पुत्री रामकुमार चक 16 एम डी के प0 न0 148/336 मु0 न0 55 के किला न0 1/.114,2/.202,—.316 है0

चक 18 एन डी आर के प0 न0 139/341 मु0 न0 54 के किला न0 11/.240, 12–13/.506, 14/.013, 18–19/.506,20/.076, 22/.65, 23/.105, ———1.511 है0

चक 20 एन डी आर के प0 न0 132/345 मु0 न0 15 के किला न0 6/.139, 7/.139, 8/.139, 9/.139, 10/.114, 11/.228, 12 ता 19/2.024, 20/.228, 21/.228, 22 ता 25/1.012———4.390 है0

चक 19 एन डी आर के प0 न0 139/341 मु0 न0 34 के किला न0 20/1/.013, 21/1/.164, ———.177 है0 व प0 न0 139/342 मु0 न0 35 के किला न0 1/.253, 2/1/.063, 9/1/.113, 10/.051,———.480 है0 कुल .657 है0

कुल तादादी 6.874 है0

(7) हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 विद्या देवी पत्नी कृष्णचन्द्र, प्रतिवादी संख्या 8 राजीव पुत्र कृष्णचन्द व प्रतिवादी संख्या 9 वकील पुत्र कृष्णचन्द्र चक 16 एम डी के प0 न0 148/336 मु0 न0 55 के किला न0 2/.051, 3 ता 5/.759——.810 है0

चक 18 एन डी आर के प0 न0 139/341 मु0 न0 54 के किला न0 22/.100, 23/.123—— 223है0 प0 न0 139/342 मु0 न0 65 के किला न0 2/.025, 3/.215, 8/.076———316 है0कुल 0.539 है0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

चक 20 एन डी आर के प0 न0 132/345 मु0 न0 15 के कि

1/.228, 2 ता 5/1.012, 6/.114, 7/.114, 8/.114,9/.11

114———1.810 है0

कुल तादादी 3.159 है0

हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 संदीप कुमार,राजेन्द्र कु

गुरबचनसिंह, विकासचन्द्र,अमरदीप पि0 रघुवीरसिंह चक 18

आर के प0 न0 139/341 मु0 न0 54 के किला न0 14/.24

253, 16–17/.506, 24/.227, 25/.228 ——1.454 है0

139/342 मु0 न0 65 के किला न0 4 ता 7/1.012, 14

15/.165——1.253 है0

कुल तादादी 2.707 है0

सत्यमेव जयते

अतः उपरोक्त अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो वरवक्त इजराय स्टाम्प ड्यूटी शा जावे बैंक रहन यथावत रहेगा पत्रावली फैसला शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधि
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(11)

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. केसरदेवी पत्नि बनवारी जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. कविता पुत्री बनवारी लाल जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. संतोष पुत्री बनवारी लाल जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——वादीगण

बनाम

1. सुन्दर देवी पत्नि भादरराम जाति जाट निवासी आदर्शनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बलवीर पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी आदर्शनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. पार्वती पुत्री भादरराम पत्नि पप्पूराम जाति जाट निवासी ढ़ाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. मंजू पुत्री भादरराम पत्नि सतपाल ढ़ाका जाति जाट निवासी बहलोलनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. महेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार तथाकथित पि. मु0 भगवानाराम जाति जाट निवासी आदर्श नगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. रामकुमार पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी आदर्श नगर तहसील व जिला हनुमानगढ़(फौत)।

6/1 भूरी देवी पत्नि रामकुमार जाति जाट निवासी आदर्श नगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6/2 राजेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी आदर्श नगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6/3 विनोद पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी आदर्श नगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7. विद्यादेवी पत्नि कृष्णचन्द जाति जाट निवासी आदर्श नगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. राजीव पुत्र कृष्णचन्द जाति जाट निवासी आदर्श नगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. वकील पुत्र कृष्णचन्द जाति जाट निवासी आदर्श नगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. कृष्ण कुमार पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी रामसरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
11. कालूराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी रामसरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
12. गुड्डी देवी पत्नि हंसराज पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी रामसरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
13. जगदीश पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी रामसरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
14. राजेन्द्र पुत्र स्व. भूपराम जाति जाट निवासी रामसरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

15. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक) शाखा नौरंगदेसर जिला हनुमानगढ जरिये शाखा प्रबन्धक।

16. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

——प्रतिवादीगण

वाद संख्या :— 108 सन् 2014
दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादीगण श्री मदन मूंड तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 श्री देवदत भीडासरा व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 10 ता 14 श्री भवानी सिंह निर्वाण एवं राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी सं. 16 की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार हनुमानगढ को वादपत्र की प्रतिलिपि भिजवाई जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अच्छी मंदी, खाला रास्ता को ध्यान मे रखते हुए तजवीज तकसीम की रिपोर्ट प्रेषित करे। उक्त आशय का तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत एव न्यायालय की मुद्रा के दिनांक 16.4.18 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner